

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

-:: अधिसूचना ::-

पटना-15, दिनांक:- 12/06/2026

संख्या-17/स्था0-09-03/2025, 10516 /सा.प्र.- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्तम्भ-3 में अंकित विभाग/कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम-4 में अंकित विभाग/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, को०क्र० एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री राजीव कुमार चौधरी, 395 / 26 बांका	अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
2	श्री शशांक शंकर, 396 / 26 जहानाबाद	अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
3	श्री आलोक कुमार, 586 / 26 झारखंड	अवर सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना)।	अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
4	श्री चन्द्रमणि कुमार, 745 / 26 समस्तीपुर	प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
5	श्री कुन्दन किशोर, 921 / 26 पटना	प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
6	श्री राजदेव चौधरी, 1028 / 26 अरवल	प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
7	श्री धर्मेन्द्र कुमार दास, 1043 / 26 पटना	प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

8	मो० नूर आलम, 1467/26 पटना	प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
---	---------------------------------	--	--

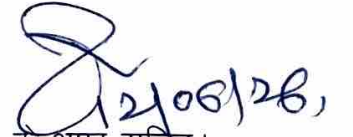
2. निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित पदाधिकारी अविलंब प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था०-09-03/2025, 10516 /सा.प्र., पटना-15, दिनांक:- 12/06/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रधान महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।